दिनांक 13 नवम्बर, 1986

सं० ओ० वि०/यमुना/102-84/42947.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. हरियाणा डिस्टलरी, यमुनानगर, के श्रमिक श्री सुखपाल सिंह, पुत्र श्री राम चन्द्र, गांव डीका टपरी, पोस्ट आफिस नाहरपुर, जिला अम्बाला तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री सुखपाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

दिनांक 14 नवम्बर, 1986

सं० ओ०वि०/एफ०डी०/161-86/43229.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० प्रीसीजन स्टैंपिंग लि०, प्लाट नं० 106/24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री रामदेव मण्डल, पुत्र श्री पलट मण्डल, झुग्गी नं० 507, जनता झुग्गी रेलवे क्रासिंग जनता झुग्गी, सैक्टर-24, फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री रामदेव मण्डल की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैर हाजिर होकर नौकरी से पुनर्ग्रहणाधिकार (लियन) खोया है ? इस विन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ।

सं० ओ०वि०/एफ०डी०/190-86/43238.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० थर्माकूल रेडियेटर, 18 डी.एल.एफ. ऐरिया, फरीदाबाद के श्रमिक श्री सुदर्शन, पुत्र श्री सुखराज मार्फत फरीदाबाद कामगार यूनियन, 2/7, गोपी कलोनी, ओल्ड फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है:—

क्या श्री सुदर्शन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/एफ०डी०/190-86/43245.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० थर्माकूल रेडियेटर, 18 डी.एल.एफ. ऐरिया, फरीदाबाद के श्रमिक श्री टेक बहादुर, पुत्र श्री बलबहादुर मार्फत फरीदाबाद कामगार यूनियन, 2/7, गोपी कलोनी, ओल्ड फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री टेक बहादुर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?